भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4210

उत्तर देने की तारीख: 19.08.2025

अनुसूचित जातियों के लिए निधियों का कम उपयोग

4210. श्री ए. राजा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु आवंटित धनराशि के राज्यवार और जिलावार कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है तथा अनुसूचित जाति उप-योजना विकास कार्ययोजना के अंतर्गत धनराशि के कम उपयोग के क्या कारण हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु आवंटित कुल धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक राज्यवार निगरानी सहित क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

वित्त वर्ष	सभी मंत्रालयों/विभागों के डीएपीएससी (पूर्ववर्ती एडब्ल्यूएससी/एससीएसपी) (संशोधित अनुमान)	उपयोग	उपयोग का प्रतिशत
2020-21	82,707.51	62,785.16	75.91
2021-22	1,39,863.94	1,23,009.63	87.95
2022-23	1,52,110.47	1,38,642.75	91.15
2023-24	1,46,689.90	1,35,178.59	92.15
2024-25	1,38,372.79	1,23,437.37	89.21

डीएपीएससी निधि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटित की जाती है, लेकिन कुछ डीएपीएससी दायित्व-प्राप्त मंत्रालयों/विभागों में योजनाओं की सामान्य प्रकृति के कारण, डीएपीएससी निधि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है।

(ग): डीएपीएससी के अंतर्गत आवंटन, व्यय और कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दायित्व-प्राप्त मंत्रालयों/विभागों के साथ मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) और सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक 29 अप्रैल, 2025 को की गई थी। इन समीक्षा बैठकों के माध्यम से, कार्रवाई योग्य बिंदुओं के बारे में मंत्रालयों/विभागों को सूचित किया जाता है, जिसमें चयनित योजनाओं से अनुसूचित जातियों को होने वाले प्रत्यक्ष लाभों के संबंध में जोर दिया जाता है। इन योजनाओं की आंतरिक समीक्षा नियमित अंतराल पर करके इनके संबंध में व्यय बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाता है। मंत्रालयों से यह भी कहा जाता है कि वे योजनाओं को यथासंभव लाभार्थी-उन्मुख बनाएं और लक्षित समूहों के लिए सीधा लाभ सुनिश्चित करें।

विभाग ने नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रारूपों के अनुसार वित्तीय, वास्तविक और परिणाम आधारित निगरानी संकेतकों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से ऑनलाइन-डेटा प्राप्त करने के लिए **ई-उत्थान** पोर्टल तैयार किया है। वित्तीय प्रगति की रियल टाइम निगरानी हेतु, इस वेब पोर्टल को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से जोड़ा गया है। डीएपीएससी के अंतर्गत योजनाओं के वास्तविक लक्ष्यों, उपलब्धियों और परिणाम की प्रगति की जानकारी को अद्यतन करने के लिए दायित्व-प्राप्त विभाग/मंत्रालय के नोडल अधिकारियों को यूजर-आईडी और पासवर्ड जारी किए जाते हैं।

*****